एन. के. सोधी और एन. के. सूद जे. जे. के समक्ष

हरि प्रसाद शर्मा और एक *और-* *याचिकाकर्ता*

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,- प्रतीयार्थी

1998 का सी. डब्ल्यू. पी. नंबर 5140

7 सितंबर, 1999

भारत का संविधान, 1950 अनुच्छेद *226/227—भूमि अधिग्रहण अधिनियम,* 1894- धारा *4,* 5-ए *और 6-अधिग्रहित* की *जाने वाली भूमि-धारा 4 के तहत अधिसूचना प्रकाशित-धारा 5-ए के तहत आपत्तियां दायर की गईं और भूमि अधिग्रहण कलेक्टर ने राज्य सरकार से याचिकाकर्ताओं की भूमि छोड़ने की* सिफारिश *की-हालांकि, सिफारिशें* स्वीकार नहीं की गई और *धारा 6 के तहत घोषणा प्रकाशित की गई-चुनौती-*सिफ़ारिशों पर *सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत विचार की गई और राज्य सरकार ने अधिग्रहण कार्यवाही के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया- रिट बिना किसी योग्यता के होने के कारण खारिज कर दी गई*

अभिनिर्धारित किया गया कि भूमि अधिग्रहण कलेक्टर ने सिफारिश की थी कि याचिकाकर्ताओं की भूमि को बाहर रखा जाए, लेकिन सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत विचार किए जाने के बाद उस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया और यह निर्णय लिया गया कि याचिकाकर्ताओं सहित अधिसूचित भूमि का अधिग्रहण किया जाए। तर्क यह है कि अधिग्रहण की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा शक्ति का एक रंगीन प्रयोग है, क्योंकि इसी उद्देश्य के लिए 25 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करने के लिए 21 जून 1982 को जारी की गई अधिसूचना को समाप्त होने की अनुमति दी गई थी और इसके बाद, याचिकाकर्ताओं की भूमि का अधिग्रहण करने के लिए जारी की गई अधिसूचनाएं किसी भी योग्यता से रहित हैं।केवल इसलिए कि 21 जून, 1982 को जारी अधिसूचनाओं द्वारा एक और भूमि का अधिग्रहण करने की मांग की गई थी, इसका मतलब यह नहीं है कि वर्तमान अधिग्रहण कार्यवाही सत्ता का एक रंगीन प्रयोग है।इसलिए, रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं है और वही खारिज हो जाती है।

(पैरास 3 &4)

R.S.Mittal, वरिष्ठ अधिवक्ता *Ms.Palika, मोगा, के साथ -याचिकाकर्ताओं के लिए अधिवक्ता।*

S.M. Sharma, *डी. ए. जी. हरियाणा, प्रतिवादीगण संख्या 1 और 3 के लिए*

अनिल राठी, अधिवक्ता, *प्रतिवादीगण संख्या 2 और 4. के लिए*

आदेश

एन. के. सोधी, जे

(1)-मार्केटन कमेटी कैथल के अनुरोध पर सरकार ने सार्वजनिक उद्देश्य के लिए कुल 30 एकड़ 2 कनाल और 1 मरला भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की, जिसमें तहसील कैथल जिला कुरुक्षेत्र, सिवान में एक नया अनाज बाजार, कर्मचारी, आवास, विश्राम गृह और गड्डा शेड की स्थापना शामिल है।भूमि अधिग्रहण अधिनियम (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 4 के तहत 22 जून, 1978 को एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें अधिग्रहण पर आपत्तियां आमंत्रित की गई थीं।अधिग्रहण के लिए अधिसूचित यह भूमि उपयुक्त नहीं पाई गई क्योंकि यह बाढ़ प्रवण थी और एक गहरे दबाव में स्थित एक निचला क्षेत्र था।राज्य सरकार द्वारा आगे कोई कदम नहीं उठाया गया और अधिसूचना को समाप्त होने दिया गया।इसके बाद सिवान में 25 एकड़ और 3 कनाल के एक अन्य क्षेत्र को इसी उद्देश्य के लिए अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचित किया गया था।अधिनियम की धारा 17 के प्रावधानों और अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत दोनों अधिसूचनाओं जो 21 जून, 1982 को जारी किया गया था को लागू किया गया।राज्य सरकार ने अधिनियम की धारा 48 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए 21 जून, 1982 की अधिसूचना के तहत अधिग्रहण के लिए अधिसूचित भूमि से 51 कनाल 5 मरला के क्षेत्र को अधिग्रहण से बाहर/वापस ले लिया।अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत अधिसूचनाओं के साथ-साथ अधिनियम की धारा 48 के तहत एक अधिसूचना को भी श्रीमती जय कौर और अन्य द्वारा 1985 की सिविल रिट याचिका 4884 में चुनौती दी गई थी। ।वह रिट याचिका स्वीकार की गई है और इस अदालत में लंबित है।उसमें याचिकाकर्ताओं को बेकब्जा करने पर रोक लगा दी गई है।यह विवाद में नहीं है कि भूमि अधिग्रहण कलेक्टर ने आज तक धारा 11 के तहत कोई निर्णय नहीं दिया है और इसलिए, अधिग्रहण के लिए शुरू की गई पूरी कार्यवाही अधिनियम की धारा 11-ए के प्रावधानों को देखते हुए समाप्त हो गई है। अधिनियम की धारा 4 के तहत 18 जुलाई, 1994 को जारी एक अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार ने सीवान में एक नए अनाज बाजार, कार्यालय भवन, कर्मचारी आवास, विश्राम गृह, गड्डा शेड आदि के निर्माण के उद्देश्य से भूमि के एक और क्षेत्र को फिर से अधिसूचित किया।सभी इच्छुक व्यक्तियों से आपत्तियां आमंत्रित की गईं।याचिकाकर्ताओं ने 25 अगस्त, 1994 को अपनी आपत्तियां दायर कीं और जब वे आपत्तियां अभी भी लंबित थीं, तब उन्होंने सिविल रिट याचिका नं. 1994 का 13488 इस न्यायालय में दायर की जो अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना को चुनौती देता है। इस रिट याचिका को 20 अक्टूबर, 1994 को समय से पहले खारिज कर दिया गया था और भूमि अधिग्रहण कलेक्टर को आपत्तियों पर तेजी से निर्णय लेने का निर्देश जारी किया गया था।हालाँकि, राज्य सरकार ने 28 अप्रैल, 1995 को अधिनियम की धारा 6 के तहत घोषणा जारी की और जिस भूमि को पहले 18 जुलाई, 1994 को अधिसूचित किया गया था, उसका अधिग्रहण कर लिया गया। याचिकाकर्ताओं ने सिविल रिट याचिका नंबर 1995 का 8645, दायर करके अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना को फिर से चुनौती दी जो 30 मई, 1997 को एक खंड पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया था और इसकी अनुमति मुख्य रूप से इस आधार पर दी गई थी कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर आपत्तियों पर निर्णय नहीं लिया गया था, भले ही अधिनियम की धारा 6 के तहत घोषणा राज्य सरकार द्वारा जारी की गई थी।28 अप्रैल, 1995 की अधिसूचना को रद्द कर दिया गया था और

उसमें प्रतिवादीगण को याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर आपत्तियों पर निर्णय लेने का निर्देश जारी किया गया था और उसके बाद अधिकारियों को कानून के अनुसार एक नई अधिसूचना जारी करने के लिए खुला छोड़ दिया गया था।यह उल्लेख किया जा सकता है कि जब यह रिट याचिका अधिग्रहण में प्रस्ताव सुनवाई के लिए आई थी, तो 7 जून, 1995 को कार्यवाही पर रोक लगा दी गई थी।भूमि अधिग्रहण कलेक्टर ने तब याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर आपत्तियों का फैसला किया और दिसंबर, 1997 में राज्य सरकार को अपनी सिफारिशें दीं।उन्होंने सिफारिश की कि सड़क के किनारे याचिकाकर्ताओं की भूमि को अधिग्रहण से बाहर रखा जाए।भूमि अधिग्रहण कलेक्टर से रिपोर्ट प्राप्त होने पर, राज्य सरकार ने सिफारिशों पर विचार किया और 10 फरवरी, 1998 की एक अधिसूचना द्वारा अधिनियम की धारा 6 के तहत भूमि अधिग्रहण की घोषणा जारी की गई है, जिसे पहले अधिनियम की धारा 4 के तहत 18 जुलाई, 1994 को अधिसूचित किया गया था वर्तमान रिट याचिका अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत जारी दोनों अधिसूचनाओं को चुनौती देते हुए दायर की गई है। हरियाणा के पूर्व कृषि मंत्री श्री हरपाल सिंह के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाए गए हैं, क्योंकि याचिकाकर्ताओं के अनुसार, उनकी भूमि राज्य सरकार द्वारा उनके इशारे पर अधिग्रहित की गई थी, लेकिन इन आरोपों पर बहस के समय ज़ोर नहीं दिया गया था।

(2) इस अदालत द्वारा जारी नोटिस के जवाब में प्रतिवादीगण ने रिट याचिका में लगाए गए आरोपों के विरोध में अपने लिखित बयान दायर किए हैं।

(3) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा यह पुरजोर आग्रह किया गया कि अधिनियम की धारा 5-ए के तहत उनकी आपत्तियों पर निर्णय लेते समय, भूमि अधिग्रहण कलेक्टर ने याचिकाकर्ताओं की भूमि को छोड़ने के लिए राज्य सरकार से सिफारिश की और राज्य सरकार ने उस पर अंतिम निर्णय लेते समय उस सिफारिश को ध्यान में नहीं रखा और इसलिए, उनके लिए अधिग्रहण ग़ैर क़ानूनी है।हमें इस तर्क में कोई योग्यता देखने को नहीं मिलती। हरियाणा के विद्वान उप महाधिवक्ता ने हमारे समक्ष मूल अभिलेख प्रस्तुत किए और उन पर गौर करने के बाद हम पाते हैं कि भूमि अधिग्रहण कलेक्टर ने सिफारिश की थी कि याचिकाकर्ताओं की भूमि को बाहर रखा जाए, लेकिन सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत विचार किए जाने के बाद उस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया और यह निर्णय लिया गया कि याचिकाकर्ताओं सहित अधिसूचित भूमि का अधिग्रहण किया जाए।

(4) तब यह आग्रह किया गया कि अधिग्रहण की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा शक्ति का एक रंगीन प्रयोग है क्योंकि 21 जून, 1982 को जारी अधिसूचनाओं को उसी उद्देश्य के लिए 25 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करने की अनुमति दी गई थी और उसके बाद याचिकाकर्ताओं की भूमि का अधिग्रहण करने के लिए विवादित अधिसूचना जारी की गई थी।यह तर्क भी किसी भी योग्यता से रहित है।अधिनियम की धारा 48 के तहत अधिग्रहण से कुछ क्षेत्र को वापस लेने की अधिसूचना को इस अदालत में दीवानी रिट याचिका संख्या 1985 का 4884 को चुनौती दी गई है और उसमें याचिकाकर्ताओं के निष्कासन पर रोक लगा दी गई है।याचिकाकर्ताओं के अनुसार इन अधिसूचनाओं को वापस ले लिया गया है, हालांकि प्रतिवादीगण का दावा है कि अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त हो गई क्योंकि भूमि अधिग्रहण कलेक्टर ने निर्दिष्ट अवधि के भीतर अपना निर्णय नहीं दिया था।जो भी हो, ये अधिसूचनाएँ अब अस्तित्व में नहीं हैं और राज्य सरकार ने इसके बाद याचिकाकर्ताओं सहित विवादित अधिसूचनाओं के दायरे में आने वाली भूमि का अधिग्रहण करने का फैसला किया।केवल इसलिए कि 21 जून, 1982 को जारी

अधिसूचनाओं द्वारा एक और भूमि का अधिग्रहण करने की मांग की गई थी, इसका मतलब यह नहीं है कि वर्तमान अधिग्रहण कार्यवाही शक्ति के एक रंगीन अभ्यास के रूप में की गई है। वास्तव में यह दिखाने के लिए कोई सार्थक तर्क नहीं दिया जा सका कि कैसे अधिग्रहण की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा सत्ता का एक रंगीन अधिकार था।शुरू में जब रिट याचिका दायर की गई थी तो याचिकाकर्ताओं ने पूर्व *कृषि मंत्री* श्री हरपाल सिंह के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाए थे, लेकिन उन आरोपों को छोड़ दिया गया था और 13 नवंबर, 1998 के आदेश द्वारा पक्षकारों के ज्ञापन से उनका नाम हटा दिया गया था। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील के इस तर्क को अस्वीकार करने में हमें कोई संकोच नहीं है।

(5)कोई अन्य मुद्दा नहीं उठाया गया।

(6)परिणामस्वरूप, रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं है और वही खारिज हो जाती है।कोई लागत नहीं।

(7)कार्यालय को सिविल रिट याचिका नंबर 1985 का 4884 को पक्षकारों के वकील को सूचित करने के बाद अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

सुखवीर कौर

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

हिसार, हरियाणा